न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

अभियुक्त

1. गणेश पुत्र श्री बाबुलाल, जाति- रावल,
   (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक),
   मैसर्स होटल जय बाबा रामदेव, कोजरा चोराया, कोजरा, तह. पिण्ड्वाडा, जिला-सिरोही

प्रकरण संख्याः 07/2018

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य पदार्थ एवं मानक अधिनियम, 2006 "

उपस्थितिः

1. श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अधिवक्ता श्री कुलदीप रावल, अभियुक्त की ओर से
3. गणेश (खाद्य कारोबारकर्ता एवं अभियुक्त)

-: निर्णय :- दिनांक 07 मई, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 25.3.2017 को समय 11.00 ए.एम. पर मैसर्स होटल जय बाबा रामदेव, चोजरा चौराया, पिण्ड्वाडा, जिला- सिरोही पर पॅहुचा। वहां खाद्य कारोबारकर्ता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति गणेश पुत्र बाबुलाल जी रावल खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद है एवं आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ पनीर का उपयोग कर रहा है व करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान होटल जय बाबा रामदेव में खाद्य सामग्री निर्माण स्थल पर फ्रिज में रखे हुए 10 किलोग्राम पनीर में मिलावट का शक होने पर जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं खाद्य कारोबारकर्ता से जांच हेतु एक किलोग्राम पनीर क्रय किया तथा उसकी कीमत राशि रुपये 200/- अदा कर रसीद प्राप्त की, जिस पर मेरे, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल फार्म नं. 5ए, नमूना खरीद रसीद संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता की उपस्थिति में खरीद किये पनीर को चार बराबर भागों में करके चार साफ व सूखी

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

अति० जिला मजिस्ट्रेट ★ सिरोही (राज०)

प्लास्टिक की बोतल में भरा व प्रत्येक नमूना बोतल में 20-20 बूंद फॉर्मेलिन की डालकर ढ़क्कन एयर टाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड एवं क्रमांक S-719, दिनांक, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ आदि का नाम अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्ष्ज्ञा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारो नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज के रेपर में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. S-719 को नियमानुसार चारो भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लीप को क्रोस करते हुए खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों ने पढ़कर सुन कर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। फिर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया था। चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व मजबूत धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया एवं फार्म नंबर 6 की प्रतियां अलग से लिफाफे में बंद कर गोंद से चिपकाया। फिर नमूनें के चारों भागों एवं लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सूरक्षा अधिकारी ने दिनांक 27.3.2017 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा तेजाराम, वार्ड बाय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 27.3.2017 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 को अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ पनीर की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना S-719 अमानक स्तर (Sub-standard) पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 07.5.2018 को अभियुक्त इस न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप रावल उपस्थित हुये। प्रकरण में दिनांक 07.5.2018 को ही

....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

अभियुक्त ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया है कि दिनांक 25.3.2017 को अभियुक्त गणेश के यहां से पनीर का नमूना लिया गया था जो जांच में अमानक स्तर का पाया गया था। मैने पनीर बाहर से खरीदा था व भविष्य में अच्छी, शुद्धता व गुणवत्ता की सामग्री का ही विक्रय करुंगा व भविष्य में गलती नही करुंगा। मै स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करता हूँ, इसलिये प्रकरण का आज ही निस्तारण करना फरमावे।

(3) प्रकरण में अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अभियुक्त के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अभियुक्त ने अमनाक स्तर का खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि अभियुक्त के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अभियुक्त ने पनीर बाहर से खरीदा था। अभियुक्त द्वारा पनीर का निर्माण नही किया गया है। अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया पनीर स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नही था। भविष्य में अभियुक्त शुद्ध एवं अच्छी गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री का ही विक्रय करेगा। अभियुक्त का यह पहला अपराध है, इसलिये कम से कम जुर्माना आरोपित कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.3.2017 को समय 11.00 ए.एम. पर खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु मैसर्स होटल जय बाबा रामदेव, कोजरा चौराया, पिण्ड्वाडा पर गये। उक्त होटल जय बाबा रामदेव में मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से गणेश पुत्र बाबुलाल जी, जाति- रावल उपस्थित मिले। जो आम जन के खाना बनाने में खाद्य पदार्थ पनीर का उपयोग व विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा होटल जय बाबा रामदेव के निरीक्षण के दौरान होटल में खाद्य सामग्री निर्माण स्थल पर क्रिज में 10 किलोग्राम पनीर रखा हुआ पाया जिसमें मिलावट का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना कय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह पुत्र श्री मदनसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- पिण्ड्वाडा के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता गणेश को प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी तथा एक किलोग्राम पनीर वास्ते नमूना जांच खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 200/- (अक्षरे रुपये दो सौ मात्र) खाद्य कारोबारकर्ता गणेश को नकद अदा कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद एवं बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता गणेश, उक्त गवाह तथा आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता एवं उक्त गवाह के समक्ष उक्त खरीदशुदा पनीर को चार बराबर भागों में करके चार साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतलों में 250-250 ग्राम पनीर भरकर प्रत्येक नमूना बोतल में 20-20

....पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

बूंदे फार्मेलीन डालकर प्लास्टिक की बोतलों के मुंह को ढ़क्कन से एयरटाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-719, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूनों भागों को खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-719 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता/विकेता गणेश व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता गणेश, उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत मैसर्स होटल जय बाबा रामदेव, कोजरा चौराया, कोजरा, तह. पिण्ड़वाडा, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता गणेश से खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना जांच हेतु कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 27.3.2017 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री तेजाराम, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 27.3.2017 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर- 6 को अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-719 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./305/Act/2017/306 दिनांक 07.4.2017 के अनुसार आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स होटल जय बाबा रामदेव, कोजरा चौराया, कोजरा में खाद्य कारोबारकर्ता गणेश से वास्ते नमूना जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर अमानक स्तर (Sub-standard) का होना पाया गया है। इस प्रकार,

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही-307001.

अति. जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

प्रकरण में यह तथ्य साबित है कि अभियुक्त गणेश द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत अभियुक्त गणेश पुत्र श्री बाबुलाल, जाति- रावल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स होटल जय बाबा रामदेव, कोजरा चौराया, कोजरा, तहसील- पिण्ड़वाडा, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 30,000/- (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। उक्त अभियुक्त अभियुक्त गणेश पुत्र श्री बाबुलाल, जाति- रावल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स होटल जय बाबा रामदेव, कोजरा चौराया, कोजरा, तहसील- पिण्ड़वाडा, जिला- सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

07.05.18

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही